



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक-२५८९ / FP/UK/ROAD/27734/2017 : देहरादून: दिनांक 16 मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली-पैनगढ़ मोटर मार्ग कि०मी० 7.00 से कि०मी० 11.725 तक के निर्माण हेतु 4.812 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/54/2019/एफ०सी०/704, दिनांक 02-07-2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वरिष्ठ प्रबन्धक, पी०आई०यू०, एन०पी०सी०सी० लिमिटेड के पत्रांक NPCC/PMGSY/THARALI/11 दिनांक 01.05.2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है।
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा राई गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागत 29,50,054.00 की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं (संलग्नक-1)
1. शर्त संख्या-5 शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 40,66,140.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
5. अन्य आवश्यक शर्त के अनुपालन में शर्त संख्या 01 एवं 12 तक प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रस्ताव की हार्ड प्रति मूल में पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या-२५८९ / FP/UK/ROAD/27734/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,